3DGT/25/2025-SEC_6_LCO-LRD

I/459497/202

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

सचिका संख्या–6 / एफ1–4039 / 2024 श्र0स0–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त (मु०)।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष–01–पुर्नवास लघु शीर्ष–202–अन्य पुर्नवास योजनाएं उपशीर्ष–0107–विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक / व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (विपत्र कोड–26–2235012020107) के विपयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में **CFMS2.0 Software** से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में विपत्र कोड –26–2235012020107 के विषयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध अग्रिम प्रथम किस्त भुगतान राशि रु० 33,39,915/– (रु० तैंतीस लाख उनतालीस हजार नौ सौ पंद्रह) मात्र का आवंटन CFMS2.0 Software से किया गया है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–256 वि0 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732 / वि0 दिनांक–31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2634, दिनांक–13.05.2026 के आलोक में है।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5 यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

6 श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० /–

(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त (मु०)।

ज्ञापांक 6 / एफ1–4039 / 2024 श्र0स0– 4038 पटना, दिनांक– 13/7/26

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त के सचिव / वरीय प्रभारी प्रशाखा–01 / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा–01) द्वारा किया जायेगा।

13/07/26

(मनीष कुमार)।
उप श्रमायुक्त (मु०)।